28/12

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुक्म की त में जारी
7/8/18	वकुलाय उपस्थित। उभयपक्ष ने निवेदन किया कि प्रकरण में वादस्थ भूमि के सम्बन्ध में एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत के समक्ष विचाराधीन है, जिसके मूल वाद संख्या 30/2016 बअनवान हेमराज बनाम ताराचन्द वगैरा है। हस्तगत अपील एवं उक्त वाद में पक्षकारान एवं वादस्थ भूमि समान है। उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित की गई है, जिससे यह अपील भी प्रभावित होगी। अतः प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कराने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष प्रकरण को प्रतिप्रेषित कराने हेतु सहमत है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आबूपर्वत द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/2011 कन्हैयालाल बनाम ताराचन्द वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.03.2012 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 30/2016 बअनवान हेमराज बनाम ताराचन्द वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2017 के अनुक्रम में प्रकरण को समेकित करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। **राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**	